Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जिला सिरोही में आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड जिला सिरोही 2,0000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 12 मार्च बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी सिरोही द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड जिला सिरोही को 2,0000/– **रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी सिरोही को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी की मैसर्स वन्दना एजेन्सी में बनास डेयरी गुजरात के घी के व्यापार का लाईसेन्स नहीं होने से फर्म के नाम से बनास डेयरी घी के बिलों को जब्त कर उस पर मण्डी शुल्क नहीं लगाने की एवज में श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड जिला सिरोही द्वारा 2,0000/– रूपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी सिरोही के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामेश्वर लाल** मय टीम के ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड जिला सिरोही को 2,0000/– **रूपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि को आरोपी द्वारा परिवादी से प्राप्त कर अपने साथ लाये कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड की मण्डी शुल्क संग्रहण रसीद बुक में परिवादी के कृषि उपज मण्डी समिति के नाम संबोधित प्रार्थना पत्र में लपेटे हुए आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।